यूजेवीएन लि0 कार्पोरेट कार्यालय उज्ज्वल, महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून हेतु बाह्य स्रोतों से वाहन उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि :– 14.10.2024 समयः 12.00 बजे
निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– 14.10.2024 समयः 15.30 बजे

आवेदनकर्त्ता द्वारा भरा जायेगा

1– (अ) आवेदक का नाम ....

(कृपया आवेदक का आईडी यथा–चालक लाईसेन्स, पासपोर्ट, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र आदि संलग्न किया जाए)

(ब) पता ....

....

....

(स) दूरभाष नम्बर ....

(द) फैक्स नम्बर ....

2– जी0एस0टी0 रजिस्ट्रे ान नम्बर ....(कृपया प्रति संलग्न करें)

3– आयकर पैन नम्बर ....(कृपया प्रति संलग्न करें)

4– ई0पी0एफ रजिस्ट्रे ान नम्बर .... (कृपया प्रति संलग्न करें)

5– गतवर्श में किये गये कार्यों का विवरण (कृपया प्रतियाँ संलग्न की जाएं)

(अ) क्लाइन्ट्स का नाम एवं पता ....(कार्यादे ाों की प्रति संलग्न करें)

6– आवेदक की विधिक स्थिति (व्यक्तिगत/पार्टनरशि ाप) ....(कृपया प्रति संलग्न करें)

7– पंजीकरण हेतु आवेदित वाहनों की संख्या ....

(कृपया वाहन का मेक, मॉडल आदि का पूर्ण विवरण प्रारूप–1 पर संलग्न किया जाए)

8– प्रतिभूति की धनराि ा रूपये ....(ाब्दों में ....
...)

एफडीआर/सीडीआर संख्या .... दिनांक ....

बैंक का नाम ....

घोशणा पत्र

मैं स ापथ घोशणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा अधि ाासी अभियन्ता (मुख्यालय), यूजेवीएन लिमिटेड, उज्ज्वल, महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून अभिरूचि की अभिव्यक्ति दिनांक .... के अन्तर्गत ''आवेदनकर्त्ताओं हेतु आव यक निर्दे ा'' एवं ''सामान्य नियम एवं भार्तें'' में विहीत समस्त भार्तों एवं अनुमोदित दरों का अवलोकन कर लिया गया है और उन्हें भली प्रकार समक्ष लिया गया है। मैं यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा निर्धारित भार्तों पर तथा विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम दर अथवा उससे कम दर पर अपने वाहन दैनिक/मासिक आधार पर देने के लिए सहमत हूँ।

हस्ताक्षर आवेदन कर्त्ता

नाम ....

मोहर ....

आवेदनकर्ताओं हेतु आव यक निर्दे ा

1– उद्दे य एवं कारण

प्रस्तुत आवेदन आमंत्रित करने का मुख्य उद्दे य राज्य में वाहन संचालन के क्षेत्र में कार्यरत सभी परिवहन व्यवसायियों को यूजेवीएन लिमिटेड के अधीन देहरादून स्थित कार्यालयों में समान अवसर प्रदान करना है। अतः उक्त उद्दे य की पूर्ति हेतु यूजेवीएन लिमिटेड कार्पोरेट कार्यालय 'उज्ज्वल', महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून में बाह्य स्रोतों से वाहनों की आपूर्ति किये जाने के इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं के यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून में पंजीकरण हेतु आवेदन/प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

2– आवेदन प्रपत्र एवं मूल्य

आवेदन प्रपत्र सामान्य नियम एवं भार्तें व अन्य विवरण निगम की वेबसाइट (www.ujvnl.com) में उपलब्ध कराये गये है। इच्छुक प्रतिभागी द्वारा आवेदन पत्र उक्त वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

3– पात्र आवेदक

3.1 पात्र आवेदक से आ ाय ऐसे व्यक्ति/फर्म/कम्पनी से है जो इस प्रपत्र में दी गई सभी भार्तों को पूर्ण करता है। आवेदक की अपनी पात्रता के सम्बन्ध में आव यक अभिलेख, जो आवेदन में उसके द्वारा दिए गए कथनों की पुश्टि करते है, संलग्न करना अनिवार्य है। भागीदारी फर्म/कम्पनी की द ाा में प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को पॉवर ऑफ अटार्नी भी संलग्न करना अनिवार्य है।

3.2 आवेदन पत्र जमा करने के उपरान्त किसी भी समय फर्म/आवेदक की संरचना (composition) में परिवर्तन बिना अधि ाासी अभियन्ता (मुख्यालय) की लिखित अनुमति के नहीं किया जायेगा।

4– आवेदक का उत्तरदायित्व

4.1 आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रपत्र का भलिभाँति अध्ययन कर ले और यह सुनि चत कर ले कि वह आवेदन की सभी भार्तों/आव यकताओं को पूर्ण करता है। किसी समय आवेदन की भार्तों/आव यकताओं की पूर्ति में विफल रहने का जोखिम आवेदक का होगा।

4.2 आवेदन पत्र मे दिए गए विवरण विभाग द्वारा सावधनीपूर्वक तैयार किए गए हैं और इस प्रपत्र में दी गई सूचनायें आवेदक को प्रस्ताव तैयार करने में सहायक होंगी परन्तु आवेदक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन करने से पूर्व उनका सत्यापन अपने स्तर से आव य कर ले। यूजेवीएन लिमिटेड अथवा उसके प्रतिनिधि कोई त्रुटि न होने की गारन्टी नहीं देता है।

5– आवेदन पत्र तैयार किया जाना

5.1 आवेदक द्वारा अपना प्रस्ताव इस आवेदन प्रपत्र में दिए गए प्रारूप के अनुसार ही तैयार करना है। यूजेवीएन लिमिटेड अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे प्रस्तावों, जो निर्धारित प्रारूप में नहीं है, को निरस्त कर सकते हे।

5.2 आवेदक द्वारा यह सुनि चत कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा सभी स्थानों पर, जहाँ अपेक्षित है, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। अहस्ताक्षरित/अपठनीय आवेदनों को अयोग्य मानते हुए निरस्त करने का अधिकार निगम अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत कोई अधिकारी को होगा।

5.3 आवेदक द्वारा यह भी सुनि चत कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा सभी अपेक्षित संलग्नक/प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न कर दी गई है।

5.4 उपरोक्त तैयार आवेदनों को मुहरबन्द लिफाफे में रखा जाएगा और उस पर स्पश्ट रूप से निम्नवत् विवरण अंकित होना चाहिए :–

"यूजेवीएन लिमिटेड कार्पोरेट कार्यालय उज्ज्वल, महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून हेतु बाह्य स्रोतों से वाहनों की आपूर्ति किये जाने के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन"

उपरोक्त के अतिरिक्त बाहरी लिफाफे पर आवेदक का नाम, पता एवं सम्पर्क दूरभाश नम्बर भी स्पश्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

5.5 पूर्ण रूप से भरी हुई आवेदन "अधि ाासी अभियन्ता (मुख्यालय), यूजेवीएन लिमिटेड, उज्ज्वल, महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून–248006" को प्रेशित की जाएंगी।

5.6 आवेदन प्रतिभूति संलग्न न होने की द ाा में आवेदन प्रपत्र स्वीकृत नही किया जाएगा। किसी प्रकार की छूट (Exemption) सम्बन्धी प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5.7 सभी दरें, करों/जी0एस0टी0 के अतिरिक्त है।

6– आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि

6.1 पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन दिनांक 14.10.2024 (12:00 बजे) तक अधि ाासी अभियन्ता (मुख्यालय) के कार्यालय में प्राप्त होना आव यक है। फैक्स अथवा ई–मेल आदि के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.2 डाक में आवेदन के गुम हो जाने अथवा विलम्ब से प्राप्त होने का उत्तरदायित्व निगम का नहीं होगा और विलम्ब से प्राप्त आवेदनों को बिना खोले आवेदक को लौटा दिया जायेगा।

6.3 निगम द्वारा किसी भी समय आवेदन प्रक्रिया की तिथियों में परिवर्तन कर सकते हैं ।

7– जमा करायी गई आवेदन में सं ाोधन अथवा वापस लिया जाना

7.1 आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व किसी समय यदि कोई आवेदक जमा किये गये आवेदन में सं ाोधन करना चाहता है तो वह इस आ ाय का लिखित आवेदन कर सं ाोधन कर सकता है परन्तु ऐसी स्थिति में उसे लिफाफे पर "सं ाोधित आवेदन" स्पश्ट रूप से अंकित करना होगा।

7.2 परन्तु यह कि आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त आवेदन में कोई परिवर्तन/सं ाोधन ग्राह्य नहीं होगा।

8– गोपनीयता

आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदनों के मूल्यांकन, स्पश्टीकरण अथवा संस्तुतियों के सम्बन्ध में कोई जानकारी किसी भी व्यक्ति, जो अधिकृत रूप से इस प्रक्रिया से सम्बन्धित नहीं है, को नहीं दी जाएगी।

9– अन्य प्रमाण पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाएं

9.1 इस आ ाय का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित भापथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि आवेदक का नाम, भाासन, राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग अथवा निगम और परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की काली सूची में अंकित नही है।

9.2 इस आ ाय का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित भापथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि आवेदक या उसके पार्टनर या कम्पनी के विरूद्व किसी प्रकार का पुलिस/विजीलेन्स जाँच विचारधीन नहीं है और न ही उन्हें किसी सक्षम मा0 न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए कभी दण्डित किया गया है।

9.3 आवेदक जी0एस0टी0 विभाग में पंजीकृत है अथवा नहीं, का प्रमाणपत्र भी संलग्न किया जाए।

9.4 आवेदन में अपेक्षित विगत वर्शों में किये गये कार्यों सम्बन्धी अनुभव प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति।

9.5 इस आ ाय का घोशणापत्र कि आवेदक आवेदन पत्र में उल्लिखित संख्या में वाहनों उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।

9.6 टर्न ओवर सम्बन्धी प्रमाण पत्र–आयकर रिटर्न/बैलेंस भीट।

10– **पंजीकरण की अवधि**

उक्त पंजीकरण की अवधि पंजीकरण के दिनांक से एक वर्श होगी।

11– **पंजीकरण अवधि के मध्य दरों मे सं ाोधन**

उपरोक्त दरें एक वर्श की अवधि के लिए वैध होगीं। पंजीकरण की अवधि दरों मे कोई सं ाोधन अथवा परिवर्तन किसी भी पक्ष द्वारा नही किया जाएगा।

12– **कार्यप्रभारित प्रतिभूति**

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ रूपये 10,000.00 प्रति वाहन की दर से कार्यप्रभारित प्रतिभूति के रूप में जमा करायी जाएगी। इस हेतु अपेक्षित धनरा ा का एफडीआर/सीडीआर, जो **अधि ाासी अभियन्ता (मुख्यालय), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून** के नाम से हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा। उक्त धनरा ा अनुबन्ध की सम्पूर्ण अवधि हेतु धरोहर के रूप में अधि ाासी अभियनत (मुख्यालय) के कार्यालय में जमा रहेगी, तथा कार्य के संतोशजनक पूर्ण होने के उपरान्त लौटा दी जाएगी।

उक्त धनरा ा के सापेक्ष वाहनों को लगाया जा सकेगा। किसी कारणव ा यदि वाहनों की कम संख्या को लगाया जाएगा, उस द ाा मे प्रतिभूति रा ा को वापस कर दिया जाएगा।

13– **आवेदकों का पंजीकरण**

ऐसे आवेदक जो अधिकतम निर्धारित दरों पर तथा निर्धारित भार्तों पर अपने वाहनों की आपूर्ति करने पर सहमत होगें, उनका पंजीकरण निगम द्वारा किया जाएगा। इच्छुक आवेदकों द्वारा पंजीकरण किये जाने हेतु आवेदन किया जा सकता हैः–

दीर्घकालीन मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु

14– आवेदनों का मूल्यांकन

14.1 प्रस्तर 5 के अनुसार तैयार आवेदनों को अधि ाासी अभियन्ता (मुख्यालय) द्वारा एवं इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति में खोला जाएगा।

14.2 आवेदनों के मूल्यांकन के दौरान सभी भार्तों को पूर्ण करने वाले एवं इस प्रपत्र में दी गयी भार्तों से सहमत होने वाले आवेदकों को सफल घोशित किया जाएगा।

14.3 आवेदन स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार समिति के पास सुरक्षित है, आवेदन स्वीकृत करने हेतु आपूर्ति की गुणवत्ता तथा फर्म के प्रोफाईल एवं पुरानी परफारमैन्स को ध्यान में रख कर निर्णय लिया जाएगा।

15– **नियम**

आवेदक द्वारा कार्य के सम्बन्ध में विभिन्न अधिनियमों/नियमों यथा–श्रम अधिनियम, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, पीएफ, ईएसआई, मोटरयान अधिनियम आदि में विहीत व्यवस्थाओं/नियमों/औपचारिकताओं का अनुपालन किया जाएगा। (जहाँ लागू हों)

16– **कर एवं देयकों का भुगतान**

16.1 सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रवे ा कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा की जाएगी।

16.2 अन्य राज्यों में वाहन के आवागमन की स्थिति में अन्य प्रदे ाों के कर आदि का भुगतान आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा की जाएगी।

Spacifications

सामान्य नियम एवं भार्तें

सामान्य नियम एवं भार्तें निम्नवत् है :–

1. इच्छुक आवेदक के पास निम्नलिखित निर्माता (make & model) की कम से कम 01 वाहन (स्वयं के नाम से पंजीकृत) होना आव यक हैः–
   1. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा स्कोर्पियो / समकक्ष
   2. टोयोटा इनोवा (क्रिस्टा) / समकक्ष
2. आवेदनकर्त्ता द्वारा एक वाहन किसी सरकारी विभाग अथवा निगम में विगत दो वर्श में कम से कम छः माह के लिए लगातार किराये पर रखा हो। (कृपया साक्ष्य संलग्न करें)
3. सूची में दिये गये वाहनों में न्यूनतम 01 वाहन होना (स्वयं के नाम पर) अनिवार्य होगा। इससे कम होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
4. वाहन आपूर्तिकर्त्ता का विगत तीन वर्शों का औसत टर्न ओवर कम से कम, उनके द्वारा आवेदित वाहनों की कुल आंकलित वार्शिक धनरा ा के 30 प्रति ात के बराबर होना चाहिए। (कृपया साक्ष्य संलग्न करें)
5. सफल आवेदक / आपूर्तिकर्ता द्वारा करार के दौरान कोई भी वाहन, वर्श 2021 से अधिक पुराना नहीं होगा।
6. आपूर्ति किए जाने वाले वाहन उचित गुणवत्ता (Excellent Condition) वाली होनी चाहिए। वाहन की आन्तरिक साज–सज्जा यथा–सीट कवर, तौलिया, पढने के लिए बिजली, फुटमैट आदि, उत्कृश्ट क्वालिटी की होना आव यक है।
7. वाहन के टायर, बैट्री, हैडलाईट बीम, ब्रेक, इन्डिकेटर, वाईपर, भी ा, दरवाजे एवं अन्य समस्त एसेसरीज उचित एवं उत्कृश्ट गुणवत्ता के होने चाहिए।
8. वाहन नियमानुसार संभागीय / उप संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होनी चाहिए तथा करार की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र यथा–पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूशण प्रमाण पत्र आदि वैध होने चाहिए। पंजीयन भाुल्क, परमिट भाुल्क, फिटनेस भाुल्क, मोटर वाहन कर, बीमा, चालक / स्टाफ की वर्दी (सफेद सफारी सूट, पी कैप) चालक लाईसेन्स आदि पर व्यय सभी प्रकार के सम्बन्धित व्यय आपूर्तिकर्त्ता द्वारा वहन किये जाएंगे।
9. आपूर्ति की जाने वाली वाहन मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत **ऑल इण्डिया परमिट** से आच्छादित होनी चाहिए। किसी भी निजी वाहन की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
10. वाहन पर तैनात किए जाने वाला चालक वैध व्यवसायिक लाईसेन्स धारक होना चाहिए तथा चालक का ड्यूटी के दौरान नियमानुसार वर्दी में होना आव यक है। वाहन का चालक वाहन चलाने की दृश्टि से हृश्ट –पुश्ट (Medically fit) एवं पर्याप्त अनुभवी और वाहन चलाने मे दक्ष होना चाहिए। चालक का आचरण मृदुभाशी, अनु ासित होना अपरिहार्य है ।
11. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा यह सुनिि चत किया जाएगा कि ऐसे चालक, जो न ो के सेवन सक आदी हो, को वाहन पर सेवायोजित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे चालक, जो न ो का सेवन कर वाहन चलाने अथवा खतरनाक ढंग से वाहन चलाने अथवा किसी पुलिस वाद आदि में दोशी पाया गया हो, को भी वाहन

में सेवायोजित नहीं किया जाएगा। किसी चालक के सम्बन्ध में पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र की अपेक्षा की जा सकती है, जो कि उपलब्ध कराना आव यक होगा।

12. अधि ासी अभियन्ता (मुख्यालय) द्वारा वाहन के किसी ऐसे चालक, जो अपने कर्तव्यों का पालन उचित ढंग से करने में असमर्थ है अथवा उसका आचरण एवं कार्य संतोशजनक नहीं है, को हटाने हेतु आपूर्तिकर्त्ता को तत्काल दूसरे चालक/स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी।

13. सम्बन्धित विभाग मार्ग में होने वाली किसी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याि त घटना/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा, मुआवजा एवं अन्य विधिक आव यकताओं का अनुपालन सम्बन्धित आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किया जाएगा।

14. अपूर्तिकर्त्ता का यह दायित्व होगा कि चालक के पास पर्याप्त धनराि ा (Imprest cash) उपलब्ध हो ताकि यात्रा के दौरान ईंधन, मरम्मत अथवा वाहन सम्बन्धित अन्य व्यय किया जा सके।

15. मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी (Breakdown) होने पर आपूर्तिकर्त्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि किसी समय आपूर्तिकर्त्ता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो सम्बन्धित विभाग आपूर्तिकर्त्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा।

16. आपूर्तिकर्त्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वि ाश्ट अधिकारियों के निवास/कार्यालय/कॉलोनी से सम्बन्धित उत्तराखण्ड सरकार के सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जाएगा।

17. आपूर्तिकर्त्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्बन्धित अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि से सम्पर्क रखा जाएगा तथा ड्यूटी के समयबद्ध संचालन हेतु उनके द्वारा दिए गए अनुदे ाों का पालन किया जाएगा।

18. वाहन का प्रयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है।

19. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किसी भी द ाा में कार्य को पुर्नठेके (Sub-let) पर नहीं दिया जाएगा।

20. वाहन के लिए डीजल/पैट्रोल की आपूर्ति निम्न माईलेज के आधार पर की जाएगी :—

क्र0 सं0	वाहन का मेक	ईंधन की खपत किमी/ली0
1	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा स्कॉर्पियो/समकक्ष	10
2	टोयोटा इनोवा (क्रिस्टा) /समकक्ष	10

21. वाहनों की आपूर्ति के लिए अधिकत आधार मूल्य निम्नवत् निर्धारित किया गया है :—

क्र0सं0	वाहन का मेक	मासिक दर रूपये में (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)
1	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा स्कॉर्पियो/समकक्ष	43,850.00
2	टोयोटा इनोवा (क्रिस्टा) /समकक्ष	54,900.00

22. उपरोक्तानुसार ईंधन की आपूर्ति दैनिक/मासिक (जैसी भी स्थिति हो) लॉगबुक के आधार पर विभाग द्वारा की जाएगी। इस हेतु सम्बन्धित आपूर्तिकर्त्ता को वाहन में नियमित रूप से लॉगबुक रखना आव यक होगा और उस पर दैनिक आधार पर वाहन संचालन की प्रविश्टि करते हुए उसे सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित कराना होगा।

23. अन्य जनपदों में वाहन के रात्रि विश्राम करने की स्थिति में रूपये 200.00 प्रति रात्रि की दर से रात्रि चार्जेज का भुगतान पृथक से किया जाएगा।

24. वाहन में लॉग बुक के अतिरिक्त एक ि ाकायत/सुझाव पुस्तिका भी रखना आव यक होगा।

25. वाहन में नियमानुसार स्टपनी, टूल किट, फर्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र (Fire extinguisher) भी आपूर्तिकर्त्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आव यक है।

26. भुगतान की रीतिः

(1) कार्य की पूर्ति पर सम्बन्धित आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान विभाग द्वारा दैनिक/मासिक (जैसी भी स्थिति हो) आधार पर किया जाएगा।

(2) आयकर नियमों के अनुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा भुगतान के समय आयकर की कटौती (टीडीएस) की जाएगी।

27. सेवा प्रदान करने में विलम्ब हेतु भाास्ति/दर अनुबन्ध का निरस्तीकरण :

निम्नलिखित अवसरों पर कार्यप्रभारित प्रतिभूति को जब्त करते हुए दर अनुबन्ध को समाप्त कर दिया जायेगा–

(1) यदि आपूर्तिकर्त्ता समय पर वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है ।

(2) आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं संतोशजनक नहीं है ।

28. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आवेदित वाहनों मे से समस्त अथवा आंि ाक रूप से किराये पर लिए जाने का अन्तिम अधिकार अधि ाासी अभियन्ता (मुख्यालय) का होगा।

29. वाहन का नवीनतम माडल उपलब्ध करवाने वाले आपूर्तिकर्त्ता को प्राथमिकता प्रदान की जाऐगी।

30. तैनात वाहन का मॉडल 2021 या नया मॉडल/निर्मित होना चाहिए। यदि वाहन का मॉडल 2021 से अधिक पुराना है तो बिलों पर प्रति वर्श 5 % की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना पुराने मॉडल के अनुसार बिलों से काटा जाएगा (उदाहरण के लिए यदि वाहन 2021 से पुराना है तो जुर्माना @ 5 % होगा और यदि 2020 से पुराना है तो जुर्माना 10 % और उसके पूर्व जैसी भी मॉडल की स्थिति हो)

31. निगमीय कार्य हेतु की गयी यात्रा के लिए टोल टैक्स/पार्किंग भुल्क की प्रतिपूर्ति निगम द्वारा आव यकतानुसार बिल/पर्ची प्रस्तुत करने पर की जाएगी। टोल टैक्स/सडक के सरकारी भुल्क एकत्रित करने के लिए FASTag या अन्य प्रकार के इलैक्ट्रोनिक उपकरण के इंस्टाले ान भुल्क का भुगतान ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

32. FASTag अथवा भविश्य में लागू होने वाले इलैक्ट्रोनिक उपकरण की अनुपलब्धता/सक्रिय न होने के कारण अतिरिक्त टोल टैक्स/जुर्माना का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।

33. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अनुबन्धित किए गए वाहनों की स्थिति खराब व सेवा देने के योग्य न होने की परिस्थिति में ऐसे वाहनों को विभाग से तुरन्त हटा दिया जाएगा तथा आपूर्तिकर्त्ता को 24 घंटे के भीतर ऐसे वाहनों को तुरन्त बदलना होगा।

34. आपूर्तिकर्त्ता को अनुबन्धित वाहनों मे सदैव कम से कम 15 लीटर ईंधन भरवाकर रखना होगा, ईंधन की कमी की स्थिति में यदि दो ि ाकायतें (लिखित या मौखिक रूप से) नियंत्रण अधिकारी द्वारा की जाती है तो प्रति वाहन कुल मासिक राि ा का 5 प्रति ात जुर्माना मासिक बीजकों से काटा जाएगा।

हस्ताक्षर एवं मुहर
आवेदक

प्रारूप –1

(पंजीकरण हेतु आवेदित आवेदित वाहनों की संख्या)

क0 सं0	वाहन संख्या	वाहन का मेक	मॉडल	पंजीयन की तिथि	सीट क्षमता	ईंधन का प्रकार	मासिक आधार पर